तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
31/7/23	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलाण्टस के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 462 की अपीलाण्टस को जानकारी दिनांक 27.01.2022 को हुई। इसलिये जानकारी से अपील म्याद पेश है। तथा उक्त म्यूटेशन की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आरम्भ से अवैध व शून्य होने पर उसे कभी भी चूनौती दी जा सकती है। अपीलाण्टस अनपढ़ महिला होने से अपीलाण्टस को उक्त म्यूटेशन की जानकारी नही हो सकी। अतः श्रीमानजी अपीलाण्टस की उक्त अपील को अंदर म्याद शुमार करने का न्यायहित में आदेश फरमावें। रेस्पोडेण्टस संख्या 32, 34 से 36, 42 से 44 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस भील जाति के व्यक्ति है जो अनुसूचित जन जाति वर्ग में आते है तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। म्यूटेशन संख्या 462 की कार्यवाही दिनांक 06.02.1982 की होने से तथा विधि अनुसार स्वीकृत होने से उक्त म्यूटेशन संख्या 462 वैध व प्रभावी है। अपीलाण्टस द्वारा अपील व प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलाण्टस को म्यूटेशन संख्या 462 की जानकारी दिनांक 27.01.2022 को नही होकर उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने के वक्त से है, तथा अपील पेश करने से हुई देरी भी माफ योग्य नहीं होने से अपीलाण्टस का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय खर्चा खारिज किये जाने का न्यायहित में आदेश फरमावें। रेस्पोडेण्टस संख्या 18 से 22, 24 से 29 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में रेस्पोडेण्टस संख्या 32, 34 से 36, 42 से 44 के विद्वांन अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया गया। व अपील पेश करने से हुई देरी भी माफ योग्य नहीं होने से अपीलाण्टस का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली–भांती अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्टस द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 462 निर्णय दिनांक 06.02.1982 संबंधी जानकारी अपीलाण्टस को अपनी आराजी की हल्का पटवारी के पास जाने से दिनांक 27.01.2022 से हुई कि अपीलाण्टस का नाम नामान्तरकरण संख्या 462 में पुत्री संतानों अपीलाण्टस के नाम दर्ज नही है। इस आधार पर अपीलाण्टस ने उक्त नामान्तरकरण की अपील पेश की गई है। अपीलाण्टस द्वारा अपील में हिन्दू उत्तराधिकार	

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला जालोर

अधिनियम के आधार पर उसके पिता की पूश्तैनी आराजी में उत्तराधिकारी होने से नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 06.02. 1982 में वंशावली अनुसार अपीलाण्टस का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया गया है। उक्त म्यूटेशन तलका फौत होने पर उत्तराधिकार के आधार पर भरा गया है। तथा अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अनपढ महिला है, जिसकों नामान्तरकरण संख्या 462 व इसके आधार पर दर्ज इन्द्राजों की जानकारी नहीं हुई। ऐसी स्थिती में प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के आधार पर अपीलाण्ट की अपील अंदर म्याद शूमार किया जाना न्यायसगंत प्रतीत होता है।

अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है, तथा अपीलाण्ट की नामान्तरकरण संख्या 462 की अपील पेश करने में हुये डीले को कण्डोन किया जाकर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला जालोर